

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-78/2023

पटना, दिनांक—

श्री पंकज कुमार सिंह, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), सम्प्रति राज्य-कर उपायुक्त, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-04.04.2025 से 16.04.2025 तक कुल 13 (तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री सिंह के अवकाश लेखा में (155-13=142) (एक सौ बयालीस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-78/2023 305

/पटना, दिनांक- 22/01/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधुबनी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), झंझारपुर अंचल, झंझारपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री पंकज कुमार सिंह, राज्य-कर उपायुक्त, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।